



कार्यालय- जनपद न्यायाधीश, हाथरस।

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिये, जनपद न्यायालय, हाथरस में स्थित मुंसिफी परिसर से लगी रिक्त भूमि को चाय कैंटीन एवं फल-फ्रूट, चाट-चबैना की दुकान को वार्षिक ठेके पर उठाया जाना है, उक्त की नीलामी हेतु दिनांक 05.05.2018 दिन शनिवार समय दोपहर 1:30 बजे नियत है। इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु समय से केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, हाथरस में उपस्थित हों। नीलामी से सम्बन्धित अधिक जानकारी, केन्द्रीय नाजिर से प्राप्त की जा सकती है।


(आशीष जैन)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं०-02,
हाथरस।
17.04.2018

आदेश

अवलोकित। अनुमोदित

प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
हाथरस।
17.04.2018

कार्यालय- जनपद न्यायाधीश, हाथरस।

नीलामी की आवश्यक शर्तें :-

01. यह टेका दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए वैध है।
02. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली, विगत वित्तीय वर्ष की बोली की धनराशि पर 10 प्रतिशत जोड़कर बोली जाएगी।
03. टेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत धनराशि रु० 20,000/- (बीस हजार) रूपये जमा करने होंगे। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम टेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
04. जिस व्यक्ति के हक में टेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समस्त धनराशि का 50 प्रतिशत तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि 25-25 प्रतिशत की 02 त्रैमासिक किस्त (01 जुलाई-2018 तथा 01 अक्टूबर-2018) में जमा करनी होगी। यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जफ्त कर ली जायेगी।
05. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में टेका छोड़ा जायेगा।
06. टेका की स्वीकृति का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश का होगा।
07. किसी भी टेकेदार को टेके को बेचने का अधिकार नहीं होगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे-सम्बन्धी या किसी अन्य को टेका हस्तान्तरित नहीं करेगा।
08. टेकेदार पानी एवं बिजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।
09. प्रत्येक टेकेदार को, जिसके नाम टेका छोड़ा जायेगा, उसे नियमानुसार अण्डरटेकिंग देनी होगी तथा उसे नियमानुसार 100 रूपये का स्टॉम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निस्पादित करना होगा।
10. प्रत्येक टेकेदार को अपनी हैसियत का हैसियत प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड दाखिल करना आवश्यक होगा।



(आशीष जैन)

अध्यक्ष नीलामी समिति /

अपर जनपद न्यायाधीश,

कोर्ट सं०-02,

हाथरस।